विविध बैंक प्रकरण संख्या 52/2021(GCMS : 2021/143) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार ज्याणी, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय –04, जवाहन नगर, श्रीगंगानगर

बनाम 1. मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी (साझेदार फर्म) –(1. महेन्द्र कुमार पुत्र लाल चंद 2. जसवीन्द्र कौर पत्नी नक्षत्र सिंह 3. औंकार सिंह पुत्र कर्म सिंह) दुकान नं. 43–ए, धान मंडी, केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर 2. गुरविंदर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह 3. ओंकार सिंह पुत्र कर्म सिंह निवासी गांव 4 एसवी, पो.ऑ. मलकाना खुर्द, 4 एस, करणपुर जिला श्रीगंगानगर 4. महेन्द्र कुमार पुत्र लाल चंद 5. ममता रानी पत्नी महेन्द्र कुमार निवासी वार्ड नं. 2, केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**04.04.2022**

**पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी** बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

**प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है** कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 02.09.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी (साझेदार फर्म महेन्द्र कुमार, जसवीन्द्र कौर, ओंकार सिंह), गुरविंदर सिंह, ओंकार सिंह, महेन्द्र कुमार एवं ममता रानी को ऋण सुविधा के रूप में 35.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पैंतिस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 18.01.2019 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी महेन्द्र कुमार द्वारा दृष्टि बंधक रखे गये स्टॉक व बंधक व्यावसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 02(क्षेत्रफल 200 वर्गफुट), वार्ड नं. 4, बी ब्लॉक केसरीसिंहपुर [illegible] एवं ममता रानी ने अपनी रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट [illegible] ब्लॉक केसरीसिंहपुर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी [illegible] कि अप्रार्थीगण [illegible] की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण [illegible] भुगतान नही किया [illegible] जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:56:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.12.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 01.01.2021 को 38,64,788/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थी** महेन्द्र कुमार एवं ममता रानी **को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 01.01.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का** रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 15.01.2021 को भिजवाया गया है जो अप्रार्थीगण ऋणियों को पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार प्राप्त हो गये हैं। **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी महेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखे गये अपने स्टॉक व व्यावसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 02(क्षेत्रफल 200 वर्गफुट), वार्ड नं. 4, बी ब्लॉक केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर एवं ममता रानी की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 50(3150 वर्गफुट), बी–ब्लॉक, केसरीसिंहपुर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

**मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को** पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी (साझेदार फर्म महेन्द्र कुमार, जसवीन्द्र कौर, ओंकार सिंह), गुरविंदर सिंह, ओंकार सिंह, महेन्द्र कुमार एवं ममता रानी को 35.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पैंसित लाख मात्र) का ऋण राशि की **स्वीकृति 18.01.2**[illegible] **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी [illegible] द्वारा **सुरक्षा की एवज में** दृष्टि बंधक रखे गये स्टॉक व व्यावसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 02 (क्षेत्रफल 200 वर्गफुट), वार्ड नं. 4, बी ब्लॉक केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:56:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ममता रानी द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 50 (3150 वर्गफुट), बी—ब्लॉक, केसरीसिंहपुर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 28.12.2020 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 01.01.2021 को जारी किये गये है। जो कि अप्रार्थीगण मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी (साझेदार फर्म महेन्द्र कुमार, जसवीन्द्र कौर, ओंकार सिंह), गुरविंदर सिंह, ओंकार सिंह, महेन्द्र कुमार एवं ममता रानी को धारा 13(2) के नोटिस पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 15.01.2021 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

**वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

**जहां तक ऋण की एवज** में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी महेन्द्र कुमार द्वारा दृष्टि बंधक रखे गये स्टॉक व बंधक व्यावसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 02(क्षेत्रफल 200 वर्गफुट), वार्ड नं. [illegible] बी ब्लॉक केसरीसिंहपुर,जिला श्रीगंगानगर एवं ममता रानी की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 50(3150 वर्गफुट), बी—ब्लॉक, केसरीसिंहपुर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:56:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

**जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी** नोटिस 01.01.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 01.01.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण के नाम से जारी किये गये है। अप्रार्थीगण मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी (साझेदार फर्म महेन्द्र कुमार, जसवीन्द्र कौर, ओंकार सिंह), गुरविंदर सिंह, ओंकार सिंह, महेन्द्र कुमार एवं ममता रानी को धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 15.01.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। अतः अप्रार्थीगण को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी महेन्द्र कुमार एवं ममता रानी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.2021** वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी महेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में दृष्टि बंधक रखे गये स्टॉक व बंधक व्यावसायिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:56:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सम्पत्ति प्लॉट नं. 02(क्षेत्रफल 200 वर्गफुट), वार्ड नं. 4, बी ब्लॉक केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर एवं ममता रानी की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 50(3150 वर्गफुट), बी–ब्लॉक, केसरीसिंहपुर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(रूक्मणि रियार सिहाग)**
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:56:58 IST
Reason: SelfAttested